iLrkouk

राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी,दुघर्टना या प्राकृतिक विपत्ति के कारण विकलांगता ,चश्मा /दांत/श्रवण यत्र तकनीकी शिक्षा एवं बीमारियों से संबंधित टेस्ट जैसे स्केनिंग/ डायलसिस/ई.सी.जी. आदि के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्धेश्य से मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 कतिपय संशोधनों के साथ छत्तीसगढ. मे भी लागू है । नियमों में बीमारी के प्रकरणो में राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर इलाज के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सहायता राशि क्रमशः 10,000/– एवं 30,000/– निर्धारित है । राज्य के बाहर उपचार के लिए सहायता केवल उन बीमारियों एवं अस्पतालों के लिए दी जा जाती है , जो नियमों के परिशिष्ट – 1 में सूचीबद्ध है। चश्में, दांतों के सेट, श्रवण यंत्र , तकनीकी शिक्षा एवं टेस्ट के लिए भी सहायता राशि निर्धारित है ।

पेंशनर कल्याण निधि की राशि राज्य शासन के बजट में प्रति वर्ष प्रावधानित की जाती है,जिसे आहरित कर संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के नाम से संधारित व्यक्तिगत जमा खाता में रखा जाता है और वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत प्रकरणों में इस निधि से राशि आहरित कर पेंशनरों को भुगतान की जाती है ।